IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

संशोधित बाल संरक्षण अधिनियम का किशोरों पर प्रभाव का अध्ययन
(Study of the impact of the amended Child Protection Act on adolescents)

[1]Pooja Yadav,
[1]Research Scholar, Samaj Vigyan Sansthan,
[2]Dr. (Prof.) Deepmala Shrivastav
[2]Samaj Vigyan Sansthan, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra

सार

बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा ''बाल न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000'' संसद द्वारा पारित किया गया जो ''किशोर न्याय अधिनियम, 1986'' के स्थान पर बनाया गया। इसमें किये गये प्रावधानों को बच्चों के अनुकूल बनाये जाने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरख एवं संरक्षण) संशोधित अधिनियम, 2006'' भी संसद द्वारा पास कर दिया गया है, जिसमें रू॰ से किशोर अपराधियों के नाम या फोटो प्रकाशित या प्रसारित करने वालों पर 25 हजार रूपये दण्ड लगाये जाने के प्रावधान रखे गये है। बम्बई बाल अधिनियम 1948 के अनुसार बाल अपराधी का तात्पर्य वह बालक या बालिका है जिसकी आयु 16 वर्ष हे और जिसने किसी कानून का अल्लंघन किया है। इस अधिनियम में सुधार करते हुए 1976 में बालक का तात्पर्य जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और बालका जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। इसके उपरान्त सौराष्ट्र बाल अधिनियम 1954 का प्रतिपादन किया गया सिमें बालक और बालिका दोनों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी।

की–वर्डः संरक्षण, अधिनियम, सौराष्ट्र बाल अधिनियम 1954

प्रस्तावना–

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की स्थापना की गयी। इस अधिनियम में बालक और बालिका दोनों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम में बाल अपराधियों को दो श्रेणी में बाँटा गया है– उपेक्षित बालक तथा अपराधी बालक। उपेक्षित बालक वे बालक है जो निराज्ञित है, जिनके माता–पिता उनकी उचित देखभाल नहीं करते, जो भीख मांगते पाये जाते हैं या तवैश्यावृत्ति के लिए जाये जाते है। ऐसे बालकों को पुलिस के दायित्व पर डाला जाता है और उन्हें जेल भेजने के बजाऐ किशेर या बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उन्हें बालसुधार गृह में भेजने की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम समाज और राज्य पर दात्वि डालता है कि ऐसे बालकों के द्वारा किसी अपराध को करने से रोकने के कलए पुर्नवास की व्यवस्था करें। अपराधी बालक का तात्पर्य ऐसे बालक से है जिसमें चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, राहजनी आदि गंभीर अपराध किया हैं और अपराध करते पकड़ गया हो। एसे बालकों के लिए इस अधिनियम में किशोर न्यायालय की व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक न्यायपीठ होता है। इस न्यायपीठ में एक मजिस्ट्रेट होता है जिसे बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान हो। इसके अतिक्ति दो सामाजिक कार्यकर्ता भी होते है। अपराध सिद्ध होने के उपरान्त उन्हें विशेष गृहों में रखा जाता है ताकि वे अपना आचरण सुधार सकें और समाज के साथ सामनजस्य स्थापित कर सकें।

किशोर या बाल अपराधियों के सुधार व पुर्नवास के लिए सुधार संस्थाओं का निर्माण किया गया है जहाँ उनको रखा जाता है तथा उनके भरण–पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य उपयोगी विकास के साथ उनके चरित्र और योग्यता का विकास किया जाता हैं रिमाण्ड होम (संरक्षण गृह), सर्टीफाइड स्कूल, रिफॉरमेटरी स्कूल, बोर्सटल स्कूल और प्रोबेशन गृह कुछ ऐसे सस्थान है जहाँ बाल अपराधियों को रखा जाता है एवं उनका सुधार किया जाता है। रिमाण्ड होम में ऐसे बालक होते है जो कि अवमोदित होते है, जिनका कोई घर नहीं होता और जो तिरस्कृत होते है। वे यहाँ पर अपने व्यतिव का विकास करते है तथा इसका प्रशिक्षण लेते है कि समाज में किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए। एक अच्छे रिमांड होम में शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोंराजन के साधन, स्वास्थ्य की देखभाल, सही अनुशासन और प्रभावी का निरीक्षण का होना आवश्यम है। सर्टीफाइड या प्रमाणिक विद्यालय में बाल अपराधियों को न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के लिए रखा जाता है। जब बालक 18 वर्ष से अधिक का होता है तो उसे बोर्सटल स्कूल में भेजा दिया जाता है। ये विद्यालय केवल बालकों के लिए ही है। एक विद्यालय में 80 से 100 तक बाल अपराधियों को 4 से 5 समूह में बांटते हुए, विभिन्न सेलों में रखा जाता है। इन सेलों में रखने के बाद उन्हें शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों में दर्जी का काम, खिलौना बनाना, चमड़े का काम, खेती आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें हर प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वष्र का होता है ताकि इस तरह का प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरान्त बालक वापस समाज में जाकर अपना व्यवसाय करते हुए समाज में समायोजन कर सके। बोर्सटल स्कूल की स्थापना 1920 में

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

हुई थी। इस स्कूल में 16 से 21 वर्ष के बाल अपराधियों को रखा जाता है। बोर्सटल में 100 से 350 बाल अपराधियों को रखा जाता है। यह स्कूल 'इन्सपैक्टर जेनेरल ऑफ प्रिजन' के निरीक्षण में कार्यरत हरता है। परन्तु स्कूल में एक जज, एक जिला जज, एक जिला अधिकारी और चार गैर सरकारी सदस्य होते है। यहाँ पर किसी बाल अपरधी को 2 वप्र से कम या 5 वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता। अतः केवल 3 वर्ष के लिए बाल अपराधियों को रखा जाता है। प्रोबेशन गृह में बाल अपराधियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। आवासीय देखभाल एवं सुधार किया जाता है। जिन बालकों को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है उनकी देखभाल एवं सुधार किया जाता है। जिन बालकों को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है उनकी देखभाल प्रोबेशन गृह में प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण में की जाती है।

वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सुधार संस्थाओं द्वारा बाल अपराधियों का सुधार किया जा रहा है। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थानों बाल अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन सुधार संस्थाओं द्वारा बालकों को अपना व्यक्तित्व का विकास करने, अपनी पहचान बनाने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा अपनी आजीविका स्वयं चलाने हेतु काफी सहायता प्रदान होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्राप्त करके निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त किय जा सकते है। इस बाल के इंकार नहीं किया जा सकता है कि फिलहाल देश में 'किशोर न्याय प्रणाली' छिन्न– भिन्न अवस्था में हैं। इका प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रही जानसंख्या किशारों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और आधुनिक जीवन शैली, बढ़ती आवश्कतायें, आकांक्षाए किशोर को आपराधिक कार्यो की ओर कदम रखने को प्रोत्साहित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बाल अपराध अधिक पाया जाता है। निर्धनता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा बाल अपराध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। ऐसी परिस्थितियों में देश की किशोर न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं संवेदनशलीन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि बाल अपराध की समस्या का समाधान किया जा सके तथा बालकों को, जो हमारे देश के भविष्य है, एक सुनिश्चित दिशा प्रदान हो और वे अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वा करने में सक्षम हो पायें।

उद्देश्य– संशोधित बाल संरक्षण अधिनियम का किशोरों पर प्रभाव का अध्ययन

अध्ययन के विधि (निर्दशन)

शोध अध्ययन में शोधकर्त्री के द्वारा अपने अध्ययन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संगणना विधि का प्रयोग किया गया है। सम्प्रेक्षण गृह में सीमित संख्या होने के कारण संगणना विधि का प्रयोग किया गया।

तथ्य संकलन के स्त्रोत

किसी भी शोध अध्ययन या समस्या के सम्यक प्रस्तुतीकरण में तथ्यों की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है। तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु स्त्रोत मुख्यतया दो प्रकार के है–

प्राथमिक स्त्रोत–

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों का प्राथमिक स्त्राते साक्षात्कार अनुसूची है। साक्षात्कार अनुसूची में समस्या के सभी विस्तृत पक्षों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत–

द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत पूर्ववर्ती शोध, ग्रन्थ, शैक्षणिक अभिलेख तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के लिखित अभिलेख आदि का सहारा लेकर द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

तालिका–1:क्या आपको बाल अपराध से सम्बन्धित सजा के प्रावधानों के बारे में ज्ञान है?

बाल अपराध से सम्बन्धित सजा के प्रावधानों के बारे में ज्ञान है?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	52	61.18	42	60
नहीं	33	38.82	28	40
योग	85	100	70	100

तालिका–1 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों को बाल अपराध से सम्बन्धित सजा के प्रावधानों के बारे में ज्ञान है? आगरा में 52 (61.18) प्रतिशत का उत्तर हाँ में था एवं 33 (38.82) प्रतिशत का उत्तर नहीं में था। वहीं मथुरा में 42 (60) प्रतिशत का उत्तर हाँ में था एवं 28 (40) प्रतिशत का कहना था कि उन्हें बाल अपराध से सम्बन्धित सजा के प्रावधानों के बारे में ज्ञान नहीं है।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

तालिका–2: क्या अधिनियम में सजा के प्रावधान सही है?

क्या ये अधिनियम सजा के प्रावधान सही है?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	59	69.41	50	71.43
नहीं	11	12.94	10	14.29
अन्य	15	17.65	10	14.29
योग	85	100	70	100

तालिका–2 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार क्या ये अधिनियम में सजा के प्रावधान सही है? आगरा में 59 (69.41) प्रतिशत का उत्तर हाँ में था, 11 (12.94) प्रतिशत का उत्तर नहीं में था एवं 15 (17.65) प्रतिशत का उत्तर अन्य में था। वहीं मथुरा में 50 (71.43) प्रतिशत का उत्तर हाँ में था, 10 (14.29) प्रतिशत का उत्तर नहीं में था एवं 10 (14.29) प्रतिशत का उत्तर अन्य में था।

तालिका–3: यदि हाँ तो क्यों?

यदि हाँ तो क्यों?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इससे डर पैदा होगा	30	50.85	26	52.00
कम अपराध होंगे	23	38.98	17	34.00
बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा	6	10.17	7	14.00
अन्य	-	0.00	0	0.00
योग	59	100	50	100

तालिका–3 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार क्या ये अधिनियम सजा के प्रावधान सही है यदि हाँ तो क्यों? आगरा में 30 (50.85) प्रतिशत का उत्तर था कि इससे डर पैदा होगा, 23 (38.98) प्रतिशत का उत्तर था कि कम अपराध होंगे, 6 (10.71) प्रतिशत का उत्तर था कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। वहीं मथुरा में 26 (52) प्रतिशत का उत्तर था कि इससे डर पैदा होगा, 17 (34) प्रतिशत का उत्तर था कि कम अपराध होंगे, 7 (14) प्रतिशत का उत्तर था कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा।

तालिका–4: नये बदलते वतर्मान संशोधित अधिनियम (बाल सम्प्रेक्षण अधिनियम 2015) के बारे में आपको ज्ञान है?

ज्ञान है	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	5	5.88	5	7.14
नहीं	76	89.41	63	90
अन्य	4	4.71	2	2.86
योग	85	100	70	100

तालिका–4 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार संशोधित अधिनियम के बारे में उनको ज्ञान है? आगरा में 5 (5.88) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ उन्हें अधिनियम के बारे में ज्ञान है, अधिकांश 76 (89.41) प्रतिशत का उत्तर था नहीं, 4 (4.71) प्रतिशत का उत्तर अन्य था। वहीं मथुरा में 5 (7.14) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ उन्हें अधिनियम के बारे में ज्ञान है, अधिकांश 63 (90) प्रतिशत का उत्तर था नहीं, मात्र 2 (2.86) प्रतिशत का उत्तर अन्य था।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

तालिका–5: आपके अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है?

बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	34	40	29	41.43
नहीं	21	24.71	18	25.71
अन्य	30	35.29	23	32.86
योग	85	100	70	100

तालिका–5 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है? आगरा में 34 (40) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है, 21 (24.71) प्रतिशत का उत्तर था नहीं, 30 (35.29) प्रतिशत का उत्तर अन्य था। वहीं मथुरा में 29 (41.43) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है, 18 (25.71) प्रतिशत का उत्तर था नहीं, 23 (32.86) प्रतिशत का उत्तर अन्य था।

तालिका–6: यदि हाँ तो क्यों?

यदि हाँ तो क्यों?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इससे अपराध ज्यादा नहीं बढ़ेंगे	1	2.94	1	3.46
डरेंगे कुछ गलत करने से पहले	20	58.82	15	51.72
वास्तविकता से रू–ब–रू होंगे	9	26.48	9	31.03
अन्य	4	11.76	4	13.79
योग	34	100.00	29	100.00

तालिका–6 से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है, यदि हाँ तो क्यों? आगरा में 1 (2.94) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ क्योंकि इससे अपराध ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 20 (58.82) प्रतिशत का उत्तर था इससे कुछ गलत करने से पहले डरेंगे, 9 (26.48) प्रतिशत का उत्तर वास्तविकता से रू–ब–रू होंगे तथा 4 (11.76) प्रतिशत का उत्तर अन्य था। वहीं मथुरा में 1 (3.46) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ क्योंकि इससे अपराध ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 15 (51.72) प्रतिशत का उत्तर था इससे कुछ गलत करने से पहले डरेंगे, 9 (31.03) प्रतिशत का उत्तर वास्तविकता से रू–ब–रू होंगे तथा 4 (13.79) प्रतिशत का उत्तर अन्य था।

तालिका–7: यदि नहीं तो क्यों?

यदि नहीं तो क्यों?	आगरा (N=85)		मथुरा (N=70)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ये अधिनियम ज्यादा कठोर है	6	28.57	6	33.33
सभी एक जैसे नहीं होते	6	28.57	5	27.78
इसमें गलती की भी कोई जगह नहीं है	4	19.05	2	11.11
इसके बारे में पता नहीं होना	5	23.81	5	27.78
अन्य	0	0.00	0	0.00
योग	21	100.00	18	100.00

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

तालिका–7 एवं दण्डारेख से यह ज्ञात होता है कि बाल अपराधियों के अनुसार अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है, यदि नहीं तो क्यों? आगरा में 6 (28.57) प्रतिशत का उत्तर था कि ये अधिनियम ज्यादा कठोर है एवं 6 (28.57) प्रतिशत का उत्तर था कि सभी एक जैसे नहीं होते, 4 (19.05) प्रतिशत का उत्तर था कि इसमें गलती की भी कोई जगह नहीं है तथा 5 (23.81) प्रतिशत का उत्तर था कि इसके बारे में पता नहीं है। वहीं मथुरा में 6 (33.33) प्रतिशत का उत्तर था कि ये अधिनियम ज्यादा कठोर है एवं 5 (27.78) प्रतिशत का उत्तर था कि सभी एक जैसे नहीं होते, 2 (11.11) प्रतिशत का उत्तर था कि इसमें गलती की भी कोई जगह नहीं है तथा 5 (27.78) प्रतिशत का उत्तर था कि इसके बारे में पता नहीं है।

सरांश एवं निष्कर्ष–

बाल अपराधियों के अनुसार अनुसार बाल संरक्षण अधिनियम 2015 बाल अपराधियों के लिए सही है, यदि हाँ तो क्यों के प्रतिउत्तर में? आगरा में 1 (2.94) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ क्योंकि इससे अपराध ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 20 (58.82) प्रतिशत का उत्तर था इससे कुछ गलत करने से पहले डरेंगे, 9 (26.48) प्रतिशत का उत्तर वास्तविकता से रू–ब–रू होंगे तथा 4 (11.76) प्रतिशत का उत्तर अन्य था। वहीं मथुरा में 1 (3.46) प्रतिशत का उत्तर था कि हाँ क्योंकि इससे अपराध ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 15 (51.72) प्रतिशत का उत्तर था इससे कुछ गलत करने से पहले डरेंगे, 9 (31.03) प्रतिशत का उत्तर वास्तविकता से रू–ब–रू होंगे तथा 4 (13.79) प्रतिशत का उत्तर अन्य था। आगरा में 6 (28.57) प्रतिशत का उत्तर था कि ये अधिनियम ज्यादा कठोर है एवं 6 (28.57) प्रतिशत का उत्तर था कि सभी एक जैसे नहीं होते, 4 (19.05) प्रतिशत का उत्तर था कि इसमें गलती की भी कोई जगह नहीं है तथा 5 (23.81) प्रतिशत का उत्तर था कि इसके बारे में पता नहीं है। वहीं मथुरा में 6 (33.33) प्रतिशत का उत्तर था कि ये अधिनियम ज्यादा कठोर है एवं 5 (27.78) प्रतिशत का उत्तर था कि सभी एक जैसे नहीं होते, 2 (11.11) प्रतिशत का उत्तर था कि इसमें गलती की भी कोई जगह नहीं है तथा 5 (27.78) प्रतिशत का उत्तर था कि इसके बारे में पता नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

- Times of India (2008) A report of Bureau of Police Research and Development, 22nd December.
- Deepti Kohli (2006) “Juvenile Justice act and Reformation of Juveniles in the observation homes” : A Critique Journal of legal studies and Research (Vol. 2 Issue 6)
- Amy B. Jordan (2008) “ Children media policy” Vol.18
- डॉ० ना०वि० परांजये अष्टम संस्करण 2015 ″अपराधशास्त्र दण्ड प्रशासन एवं प्रपीड़न शास्त्र″ सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स ISBN : 978-93-8461-08-4
- Ram Ahuja “Criminology” Rawat Publication Jaipur 2008
- www.prabhasakshi.com